

उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(प्रशासनिक अभियान) श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशन संख्या :- 883/2021  
उनका प्रार्थना पत्र :

निर्णय दिनांक :- 11/11/2021

दीपक कुमार कुंज महावीर बनाम तहसीलदार इली

उपस्थित  
प्रार्थी

तहसीलदार इली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::


प्रार्थी दीपक कुमार कुंज महावीर निवासी खुवावाली प्रशासन गांवो के संग जयपुर जिला/ जयपुर जिला में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम खुवावाली जमाबंदी वर्ष 2077 के खाता संख्या 94 में दर्ज प्रार्थी का नाम दीपक कुमार कुंज महावीर के स्थान पर दीपक कुमार कुंज महावीर दुरुस्त करवाये जाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपखण्ड अधिकारी से अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार इली से करवाई गई। तहसीलदार इली ने पटवार हल्का खुवावाली व भू0अ0नि0 खुवावाली की शिर्षी में प्रार्थी के नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार इली से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 की धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाये। राजस्व ग्रुप -3 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(राजस्व/2012/10) के तहत तहसीलदार इली को वाके ग्राम खुवावाली जमाबंदी वर्ष 2077 के खाता संख्या 94 में दर्ज दीपक कुमार कुंज महावीर

के स्थान पर दीपक कुमार कुंज महावीर दुरुस्त करवाये जाने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार इली को लनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो जाये।

प्रकरण के बारे में इजलास, कैम्प खुवावाली में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली